न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
90 / 2024	13.03.2024	21-01-2025

उनवान

1. बलवीर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह राठौड राजपूत निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

—— विपक्षी

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से पृथ्वीराज चौधरी
2. विपक्षी की और से पैरोकार सरकार।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में आरजी नम्बर 4662 / 197 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4664 / 200 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4665 / 201 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, भूमि जो कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी बलवीर सिंह 2 / 3 हक हिस्सा व देवी पुत्र श्री मूला 1 / 3 हक हिस्सो के रूप में दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी जो कि आराजी नम्बर 197, 200, 201 के बाद बटवांडा नवीन नम्बर है। ग्राम पांसल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 196 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 197 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 198 रकबा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 199 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 200 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 201 मी रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 06 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा एव आराजी नम्बर 195 / 2 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदार देबी लाल पुत्र श्री मूला, जमना लाल, नंद लाल, लादू लाल पिता भैरू लाल चांदी पत्नी भैरू लाल, सरजू देवी बेवा भैरू लाल माली सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी, जिसका सहमति बटवारा तहसीलदार भीलवाडा के आदेश कंमाक / भू.अ / 03 / 463 दिनांक 12 / 09 / 2003 से स्वीकृत होकर नामान्तरणकरण संख्या 2705 रकबा 16 / 09 / 2023 को स्वीकृत हुए है।

राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे जो रकबा दर्ज है, जो मौके पर होकर उसी अनुसार मै प्रार्थी काबिज हूँ। मुझ प्रार्थी द्वारा हाल ही मे भूमि का सीमाज्ञान हेतु पटवार हल्का के पास गया तो जानकारी मे आया कि राजस्व नक्शे राजस्व जमाबंदी अनुसार भूमि तरमीम नही होकर कम ज्यादा तरमीम है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आपसी सहमति से जो बटवाड़ा हुआ, जिसके बटवाड़ा प्रस्ताव मे चस्पा नक्शा ट्रेस व प्रस्ताव मे प्रस्तावित आराजी 201 मी का रकबा 02 बीघा 13 बीघा की ट्रेस मे तरमीम 02 बीघा 17 बीघा तरमीम कर दी व प्रस्तावित बटवाड़े में आराजी नम्बर 201/3 रकबा 05 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 4666/201 बने जिसका नक्शा ट्रेस में रकबा 05 बिस्वा ना होकर 13 बिस्वा के लगभग तरमीम कर दिया अर्थात 07 बिस्वा बेसी हो रहा है व आराजी नम्बर 201/4 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा जिसके नया नम्बर 4665/201 बने जबकि नक्शे अनुसार 201/5 का रकबा 05 बिस्वा ना होकर 12 बिस्वा बनता है व इसी तरह 201/4 का रकबा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस मे 01 बीघा 02 बिस्वा न होकर 06 बिस्वा आ रहा है अर्थात 16 बिस्वा कमी है आराजी नम्बर 200 मीन रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 197 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा का भी समान रूप से रकबा अनुसार तरमीम ना होकर कमी पेशी है।

इस प्रकार आराजियात के बटवाड़े मे राजस्व नक्शे मे तरमीम के समय रकबा कमी बेशी कर दिया गया है, जबकि मौके पर बटवाड़े अनुसार हक हिस्से अनुसार ही काबिज है। इस कारण राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वर्णित रकबे अनुसार राजस्व नक्शे मे आराजियात को तरमीम करायी जावें। उक्त तरमीम दुरूस्त करने से किसी भी खातेदार के हक अधिकार प्रभावित नही होगे, उक्त त्रुटि जो कि सद्भाविक तोर पर हुई है। जिसे दुरूस्त किया जावें।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजियात की पटवार हल्का से रकबा बरारी करा, राजसव रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार भूमि रमीम दुरूस्त कराये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 3012 दिनांक 29.11.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार आराजी नम्बर 201 रकबा 05–05 बीघा भूमि का सहमति विभाजन तहसील भीलवाडा के आदेश क्रमांक/भू0अ003/463 दिनांक 12.09.2003 की पालना में स्वीकृत बटवांडा प्रस्ताव अनुसार नामा0 संख्या 2705 दर्ज किया जाकर स्वीकृत हुआ। आराजी नम्बर 4665/201 रकबा 0.2782 हैक्टेयर (01–02 बीघा) खातेदार बलवीर सिंह पिता भगवान सिंह 2/3 जाति राजपूत, देवी पिता मूला 1/3 जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। नक्शा लठ्ठा अनुसार आराजी नम्बर 201/4 अंकित होकर रकबा बरारी करने पर रकबा 07 बिस्वा 15 बिस्वांसी पाया रेकार्ड अनुसार 0–14–05 बीघा रकबा तरमीम में कमी है।

विभाजन से बने आराजी नम्बर 201 के अन्य नम्बरों की रकबा बरारी करने पर स्थिति निम्नानुसार पायी गई :–

नामा0 भू नक्शा में अंकित आ.न.	नक्शा लठ्ठा में अंकित आ0न0	खातेदार का नाम	रेकार्ड अनुसार रकबा (जमाबन्दी)	लठ्ठे अनुसार रकबा	लठ्ठे में रकबा बरारी से बेशी रकबा
201	201 मी0	लादी पत्नी जमनालाल माली	0.3161 है0 (01–05 बीघा)	01–08–15 बीघा	0–03–15 बीघा
201/5	4667/201	बलवीर सिंह पिता भगवान सिंह राजपूत	0.0632 है0 (0–05 बीघा)	0–09 बीघा	04 बिस्वा
4666/201	201/3	देबीलाल पिता मूला माली	0.0632 है0 (0–05 बीघा)	0–11–10 बीघा	0–06–10 बीघा

इस प्रकार उक्त नम्बरों में अधिक रकबा नक्शा लठ्ठा में तरमीम होने से प्रार्थी की आराजी नम्बर 4665/201 (201/4) का रकबा कमी 0–14–05 बीघा पूर्ण होता है। अतः वादीगण के नाम दर्ज आराजियात की तरमीम मौके के अनुसार किया जाना उचित बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131 व 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् राजस्व नक्शों में दुरुस्ती का अध्ययन किया गया। राजस्व रेकार्ड का परीक्षण किया गया। आराजी नम्बर 4665/201 रकबा 0.2782 हैक्टेयर (01–02 बीघा) खातेदार बलवीर सिंह पिता भगवान सिंह 2/3 जाति राजपूत, देवी पिता मूला 1/3 जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। नक्शा लठ्ठा अनुसार आराजी नम्बर 201/4 अंकित होकर रकबा बरारी करने पर रकबा 07 बिस्वा 15 बिस्वांसी पाया रेकार्ड अनुसार 0–14–05 बीघा रकबा तरमीम में कमी है। इस प्रकार उक्त नम्बरों में अधिक रकबा नक्शा लठ्ठा में तरमीम होने से प्रार्थी की आराजी नम्बर 4665/201 (201/4) का रकबा कमी 0–14–05 बीघा पूर्ण होता है। भू–नक्शा/लठ्ठा नक्शें में तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 129, 131 व 136 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतःएव्

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर प्रकार तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विभाजन से बने आराजी नम्बर 201 के अन्य नम्बरों की रकबा बरारी करने पर स्थिति निम्नानुसार पायी गई :–

नामा0 भू नक्शा में अंकित आ.न.	नक्शा लठ्ठा में अंकित आ0न0	खातेदार का नाम	रेकार्ड अनुसार रकबा (जमाबन्दी)	लठ्ठे अनुसार रकबा	लठ्ठे में रकबा बरारी से बेशी रकबा
201	201 मी0	लादी पत्नी जमनालाल माली	0.3161 है0 (01–05 बीघा)	01–08–15 बीघा	0–03–15 बीघा
201/5	4667/201	बलवीर सिंह पिता भगवान सिंह राजपूत	0.0632 है0 (0–05 बीघा)	0–09 बीघा	04 बिस्वा
4666/201	201/3	देबीलाल पिता मूला माली	0.0632 है0 (0–05 बीघा)	0–11–10 बीघा	0–06–10 बीघा

इस प्रकार उक्त नम्बरों में अधिक रकबा नक्शा लठ्ठा में तरमीम होने से प्रार्थी की आराजी नम्बर 4665/201 (201/4) का रकबा कमी 0–14–05 बीघा पूर्ण होता है। अतः प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी की तरमीम तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। लठ्ठा नक्शा दुरुस्ती से कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख/नक्शें में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा